भारत-पाक के बीच परमाणु और कैदी सूचियों का आदान-प्रदान

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बावजूद परमाणु प्रतिष्ठानों **की सूचियों का आदान-प्रदान किया तथा कैदियों और मछुआरों** का विवरण साझा किया।

- **कैदियों और मछुआरों** की सूचियों का आदान-प्रदान वर्ष 2008 के कांसुलरी एक्सेस समझौते के तहत अनिवार्य है, जो प्रत्येक दो वर्ष में **1 जनवरी और 1 जुलाई को** होता है।
- **परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों** का आदान-प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के प्रतिषेध समझौते, 1988 के तहत हुआ।
  - यह **लगातार 34वाँ आदान-प्रदान था,** पहला आदान -प्रदान **1 जनवरी 1992 को हुआ था।**
  - **31 दिसंबर, 1988** को हस्ताक्षरित तथा **27 जनवरी 1991** से प्रभावी इस समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को **प्रतिवर्ष 1 जनवरी को परमाणु स्थापना के विवरण का आदान-प्रदान करना आवश्यक है।**
  - हालाँकि दोनों में **से किसी भी** देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों का **विवरण नहीं बताया है।**
- कांसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1963 के **अनुच्छेद 36 में** यह अनिवार्य किया गया है कि गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए विदेशी नागरिकों को **उनके दूतावास या वाणिज्य दूतावास को अधिसूचित करने के उनके अधिकार के बारे में शीघ्र सूचित किया जाना चाहिये।**

और पढ़ें...

कांसुलर एक्सेस: कुलभूषण जाधव मामला

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/indo-pak-exchange-of-nuclear-and-prisoner-lists